डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली इजलास

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गूर्जर, **R.A.S.**

प्रकरण सख्या:–1186/2020 दायर दिनांक:–13.01.2020

जीसीएमएस नं. 2020/00011

1. यादराम पुत्र हरीराम
2. नंदकिशोर पुत्र रामप्रसाद
3. शिविल किशोर पुत्र रामप्रसाद
4. प्रेमवती
5. लक्ष्मी
6. सुनीता

(4–6) पिसरान रामप्रसाद

(1–6) जाति जाट निवासी खेडीहैवत तहसील हिण्डौन जिला करौली

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली राज0
2. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा न0 1186/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू प्रतिवादीगण पेरोकार सरकार मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि प्रकरण में उपलब्ध जमाबंदी एवं अन्य राजस्व रिकार्ड से आराजी खसरा संख्या 1062 (साविक) की स्थिति उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर यह स्पष्ट नहीं की जा सकती है कि यह पूर्व में साविक खसरा संख्या 1048 में से ही था। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में वादी अपनी सम्पूर्ण दस्तावेजी व जुबानी सहादत से उक्त वादपत्र में चाहे गये अनुतोष को साबित करने में असफल रहा है। अतः वादी का दावा खिलाफ प्रतिवादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पक्षकाराण अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

बसब्त मेरे दरतखत व मुहर अदालत के आज तारीख 2-5-2024 को यह डिक्री जारी की गई।

(हेमराज गूर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (जिला करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:05:34 IST
Reason: SelfAttested

2/5/24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गूर्जर, R.A.S.

प्रकरण सख्या:—1186/2020 दायर दिनांक:—13.01.2020

जीसीएमएस नं. 2020/00011

1. यादराम पुत्र हरीराम
2. नंदकिशोर पुत्र रामप्रसाद
3. शिविल किशोर पुत्र रामप्रसाद
4. प्रेमवती
5. लक्ष्मी
6. सुनीता

(4–6) पिसरान रामप्रसाद

(1–6) जाति जाट निवासी खेडीहैवत तहसील हिण्डौन जिला करौली

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली राज0
2. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति:— 1. श्री सीताराम गुर्जर अधिवक्ता वादीगण
2. एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक:— 2-5-2025

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188, 88 के तहत पेश किया है कि भूमि आराजी खसरा न0 1588 रकबा 0.61 है0 खसरा न0 1588/2270 रकबा 0.20 है. कुल किता 2 कुल रकबा 81 ऐयर बाके ग्राम खेडीहैवत तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0 में स्थित है। जिनका साबिक खसरा न0 1048 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी—2 वाके ग्राम खेडीहैवत में स्थित हैं। जिसकी खातेदारी मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2026 से 2029 के वादी न0 1 के नाम तथा वादी स0 2 ता 6 के स्वर्गीय पिताजी रामप्रसाद के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

दौराने सेटिलमेंट के साबिक खसरा न0 1048 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा के सेटिलमेंट द्वारा साबिक खसरा न0 1048 के दो नवीन खसरा न0 1588 रकबा .61 है0, 1588/2270 रकबा 0.20 [illegible] ट्रैस में तरमीम कर दिया, परन्तु नवीन खसरा न0 1588/22[illegible] [illegible]न क्षेत्रफल में साबिक खसरा न0 1062 रकबा 19 बिस्वा किस्म गैरमुमकिन नाला से राजकीय भूमि मेंसे सेटिलमेंट द्वारा दर्ज किया गया है। जिसका मिलान राजस्व रिकॉर्ड साबिक ट्रैस व

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:05:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नवीन ट्रैस से करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है, कि नवीन खसरा न0 1588/2270 साबिक खसरा न0 1048 से बनना पाया जाता है। सेटिलमेंट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड मिलान क्षेत्रफल में किया गया अंकन कतई गलत है। खिलाफ रिकॉर्ड है। जिसे दुरूस्ती किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

वादीगण के कब्जा काश्त व खातेदारी के खेत खसरा न0 1588/2270 रकबा 20 ऐयर की खातेदारी सेटिलमेंट द्वारा बिना किसी अधिकार व कानून के कृषि योग्य भूमि मानते हुए राजकीय भूमि में दर्ज कर दी गई जबकि उक्त भूमि वादीगण के खेत साबिक खसरा न0 1048 का ही भाग है। जिस पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है। सेटिलमेंट द्वारा बिना किसी अधिकार व कानून के गलत अंकन जमाबंदी में किया गया है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

सेटिलमेंट द्वारा खसरा न0 1588/2270 की गलत प्रवृष्टि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के कारण वादीगण के हक हकूकों काफी हद तक प्रभावित हुऐ है। वादीगण को उक्त खसरा न0 पर किसी भी प्रकार का लाभ व परिलाभ सरकारी नहीं मिलने के कारण उक्त विवादित खसरा न0 के दर्ज गलत इन्द्राज को राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक एंव न्यायोचित हुआ है।

वादीगण के द्वारा अपने कब्जा काश्त व खातेदारी के खेत खसरा न0 1588/2270 की खातेदारी को दुरूस्त कराने का प्रार्थना पत्र दिनांक 22.11.2019 को श्रीमान तहसीलदार हिण्डौन प्रतिवादी स0 2 के यहा पेश किया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न साबिक जमाबंदी ट्रैस व हाल जमाबंदी, ट्रैस तथा मिलान क्षेत्रफल का प्रतिवादी स0 2 तहसीलदार द्वारा अवलोकन कर प्रार्थना पत्र को यह कहते हुऐ वापिस वादीगण को लौटा दिया गया कि उक्त गलत प्रवृष्टि सेटिलमेंट द्वारा की गयी है। जिसे दुरूस्त करने का हमे अधिकार नहीं है। सक्षम न्यायालय में दावा दायर कर दुरूस्त करावे।

दावा वादीगण बखिलाफ प्रतिवादीगण बाबत घोषणा खातेदारी डिक्री फरमाया जाकर इस अमर की घोषणा की जावे, कि वादीगण आराजी खसरा न0 1588/2270 रकबा 20 ऐयर वाके ग्राम खेड़ीहैवत तहसील हिण्डौन के वादीगण मुताबिक हिस्सा जमाबंदी वादी स0 1 बहिस्सा 1/2 तथा वादी स0 2 ता 6 बहिस्सा 1/2 भाग के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:05:34 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती वादीगण बखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे कि आराजी खसरा न0 1588/2270 रकबा 20 ऐयर की खातेदारी राजकीय भूमि को दुरूस्त कर उसके स्थान पर वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अमल दरामद की जावे तथा मिलान क्षेत्रफ़ल से दर्ज साबिक खसरा न0 1062 रकबा 19 बिस्वा को हजफ किया जाकर साबिक खसरा न0 1062 के स्थान पर 1048 दर्ज किया जावे।

दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत स्थायी निषेधाज्ञा इस अम्र पर डिक्री किया जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा न0 1588 रकबा 61 ऐयर, 1588/2270 रकबा 20 ऐयर कुल किता 2 कुल रकबा 81 ऐयर वाके ग्राम खेडीहैवत तहसील हिण्डौन के वादीगण के हिस्से किसी भी प्रकार की मजाहतम मदाखलत नहीं करे। ना ही किसी को रहन व्यय करे। तथा ना ही किसी अन्य से करावे। जिससे हकूक वादीगण पर प्रतिकुल प्रभाव पडे।

प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी न0 1 व 2 की तामिल प्राप्त प्रतिवादी न0 1 व 2 को जबाब हेतु कई अवसर दिये गये परन्तु जबाब दावा पेश नहीं किया गया जिस पर आदेशिका दिनांक 15.09.2022 द्वारा पेरोकार सरकार का जबाब बंद कर दिया गया।

वादी ने अपने दावा को साबित करने के लिए अपने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 537 प्रदर्श–1, जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 1 प्रदर्श–2, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3, नक्शा ट्रैस प्रदर्श–4, नक्शा ट्रैस पुराना प्रदर्श–5, जमाबंदी खेवत खतौनी खेडी हैवती वाके ग्राम खेडी हैवत तहसील सूरौठ पेश किये।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया, वकील वादी ने अपने बहस कथन में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि आराजी खसरा न0 1588/2270 रकबा 20 ऐयर की खातेदारी राजकीय भूमि को दुरूस्त कर उसके स्थान पर वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अमल दरामद की जावे तथा मिलान क्षेत्रफल से दर्ज साबिक खसरा न0 1062 रकबा 19 बिस्वा को हजफ किया जाकर साबिक खसरा न0 1062 के स्थान पर 1048 दर्ज एवं प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा न0 1588 रकबा 61 ऐयर, 1588/2270 रकबा 20 ऐयर कुल किता 2 कुल रकबा 81 ऐयर वाके ग्राम खेडीहैवत तहसील हिण्डौन के

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:05:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

वादीगण के हिस्से किसी भी प्रकार की मजाहतम मदाखलत नहीं करे। ना ही किसी को रहन व्यय करे। तथा ना ही किसी अन्य से नहीं कराने जाने का निवेदन किया है। प्रतिवादीगण पेरोकार सरकार ने अपने बहस कथन में कहा कि मुताबिक जमाबंदी ऑनलाईन ग्राम खेडी हैवत खाता संख्या 537 के आराजी खसरा संख्या 1598 रकबा 0.61 है० किस्म बारानी–1 की खातेदारी नन्दकिशोर, शिविलकिशोर पि० रामप्रसाद हिस्ता 1/2 जाति जाट सा० देह खातेदार राहिन दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल ग्राम खेडी हैवत आराजी खसरा संख्या 1588 का साविक खसरा संख्या 1048 रकबा 3 बीघा 10 विस्वा दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक जमाबंदी आनलाईन ग्राम खेडी हैवत खाता संख्या 01 के आराजी खसरा संख्या 1588/2270 किस्म बारानी 1 सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल ग्राम खेडी हैवत आराजी ख० संख्या 1588/2270 का साविक खसरा संख्या 1062 रकबा 19 विस्वा है। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी एवं अन्य राजस्व रिकार्ड से आराजी खसरा संख्या 1062 (साविक) की स्थिति उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर यह नहीं स्पष्ट की जा सकती है कि यह पूर्व में साविक खसरा संख्या 1048 में से ही था। पेरोकार सरकार द्वारा दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पाया गया कि जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 537 प्रदर्श–1, जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 1 प्रदर्श–2 वाके ग्राम खेडी हैवत तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ सिवाचयक भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी एवं अन्य राजस्व रिकार्ड से आराजी खसरा संख्या 1062 (साविक) की स्थिति उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर यह स्पष्ट नहीं की जा सकती है कि यह पूर्व में साविक खसरा संख्या 1048 में से ही था। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में वादी अपनी सम्पूर्ण दस्तावेजी व जुबानी सहादत से उक्त वादपत्र में चाहे गये अनुतोष को साबित करने में असफल रहा है। अतः वादी का दावा खिलाफ प्रतिवादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 136, 188 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188, 88 के तहत [illegible] किया जाता है कि प्रकरण में उपलब्ध जमाबंदी एवं अन्य राजस्व रिकार्ड से आराजी खसरा संख्या 1062 (साविक) की स्थिति उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर यह स्पष्ट नहीं की जा सकती

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:05:34 IST
Reason: SelfAttested

हिण्डौन सिटी (करौली)

है कि यह पूर्व में साविक खसरा संख्या 1048 में से ही था। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में वादी अपनी सम्पूर्ण दस्तावेजी व जुबानी सहादत से उक्त वादपत्र में चाहे गये अनुतोष को साबित करने में असफल रहा है। अतः वादी का दावा खिलाफ प्रतिवादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पक्षकाराण अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 2/5/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 2/5/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:05:34 IST
Reason: SelfAttested